रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 1971/ज्येष्ठ 8, 1893

No. 21 NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 1971/JYAISTHA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th April 1971

S.R.O. 175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Armed Forcse Headquarters Clerical Service Rules, 1968, namely:—

(1) These rules may be called the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Second Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Armed Forces Headquarters Clerical Service Rules, 1968,

(i) in rule 2, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(11) 'Probationer' means a direct recruit appointed to a Grade on probation against a substantive vacancy;";

(ii) after rule 13, the following rule shall be inserted, namely:—

"13A. *Confirmation or continuance of officers on probation.*—(1) When a member of the Service appointed to a Grade on probation has passed the tests, if any, prescribed (including the typewriting test held by

the Commission or the Secretariat Training School or has been specifically exempted by the Government from passing the typewriting test due to physical disability) and has completed the period of probation to the satisfaction of the appointing authority, he shall be eligible to be substantively appointed or continued therein, as the case may be, in accordance with the provisions contained in the Third Schedule.

(2) When a probationer in the Lower Division Grade has passed the tests, if any, prescribed (including the typewriting test held by the Commission or the Secretariat Training School or has been specifically exempted by the Government from passing the typewriting test due to physical disability) and has completed the period of probation to the satisfaction of the appointing authority, he shall be eligible for confirmation in that grade. Until a probationer is confirmed under this rule or is discharged or reverted under rule 14, he shall continue to have the status of a probationer".

[File No. 98630/CAO(DPC).]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1971

का० नि० आ० 175.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र-बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा नियम 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा नियम, 1968 में,

(i) नियम 2 में खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"(ठठ) 'परिवीक्षाधीन' से किसी स्थायी रिक्ति के पर परिवीक्षा पर किसी श्रेणी में नियुक्त सीधे भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ii) नियम 13 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात :—

"13क. **परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पुष्टि या निरंतरतः**—(1) जब परिवीक्षाधीन किसी श्रेणी पर नियुक्त सेवा के किसी सदस्य ने विहित परीक्षा यदि कोई हों, पास कर ली है (जिसमें आयोग द्वारा या सचिवालय प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा आयोजित, टंकण-लेखन परीक्षा भी शामिल है अथवा सरकार द्वारा शारीरिक निशक्तता के कारण टंकण-लेखन परीक्षा पास करने से विनिर्दिष्टतया छूट दे दी गई है) और उसने नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान प्रद रूप में परिवीक्षा की अवधि समाप्त कर ली है तो वह तीसरी अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, उस पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त या बने रहने का पात्र होगा ।

(2) जब निम्न श्रेणी ग्रेड में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने विहित परीक्षा, यदि कोई हो, पास कर ली हो (जिसमें आयोग द्वारा या सचिवालय प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा आयोजित टंकण-लेखन परीक्षा भी शामिल है अथवा सरकार द्वार ा

शारीरिक निशक्तता के कारण टंकण-लेखन परीक्षा पास करने से विनिर्दिष्टतया छूट दे दी गयी है) और उसने नियुक्त प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में परिवीक्षा की अवधि समाप्त कर ली गई है, तो वह उस श्रेणी में पुष्टि का पात्र होगा । जब तक कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति इस नियम के अधीन पुष्ट नहीं हो जाता है या नियम 14 के अधीन उन्मोचित या प्रत्यावर्तित नहीं हो जाता है तब तक वह परिवीक्षाधीन व्यक्ति के स्तर में बना रहेगा ।"

[फा० संख्या 98630/सी० ए० ओ०/डी० पी० सी०]

S.R.O. 176.—In pursuance of rule 11 of the Armed Forces Headquarters Clerical Service Rules, 1968, the Central Government, after consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Competitive Examination) Regulations, 1969, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Competitive Examination) (Second Amendment) Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Competitive Examination) Regulations, 1969, in regulation 8, in sub-regulation(7),

(i) in clause (i), after the words "the Commission", the words "or the Secretariat Training School" shall be inserted;

(ii) after clause (ii), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(iii) Notwithstanding anything contained in clauses (i) and (ii), a candidate, who has been declared by the competent medical authority i.e. the Civil Surgeon, to be permanently unfit to pass the typewriting test because of physical disability, may be exempted by the Government from the requirement of passing the typewriting test and, in the event of his being so exempted, the provisions of clauses (i) and (ii) shall cease to be applicable to him from the date of such exemption;

(iv) candidates who had already passed or may pass the said test within a period of six months from the date of appointment shall, however, be granted the first increment after six months instead of one year's service which shall be absorbed in the subsequent regular increments".

[File No. 98630/CAO(DPC).]

का० नि० आ० 176.—सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा नियम, 1968 के नियम 11 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम सशस्त्र बल मख्यालय लिपिकीय सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) (द्वितीय संशोधन) 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा (प्रतियोगता परीक्षा) विनियम, 1969 में नियम 8 में, उपविनियम, 7 में :—

(i) खंड (1) में "आयोग" शब्द के पश्चात् "या सचिवालय प्रशिक्षण विद्यालय" शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे ।

(ii) खंड (2) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

(iii) खंड (i) और खंड (ii) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अभ्यर्थी को, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् सिविल सर्जन द्वारा शारीरिक निःशक्तता के कारण टंकण लेखन परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अशक्त घोषित कर दिया गया है, सरकार द्वारा टंकण लेखन परीक्षा पास करने की अपेक्षा से छूट दी जा सकेगी, और इस प्रकार प्राप्त होने की दशा में खंड (i) और खंड (ii) के उपबन्ध ऐसी छूट की तारीख से उसे लागू न रहेंगे ;

(iv) उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने उक्त परीक्षा पहले ही पास कर ली है या जो नियुक्त की तारीख से छः मास के भीतर पास कर सकते हैं, तथापि एक वर्ष की सेवा के बजाय छः मास के पश्चात पहली वेतन वृद्धि अनुदत्त की जायगी जो कि पश्चातवर्ती नियमित वेतन वृद्धि में समाहृत हो जायगी ।

[फा० सं० 98630/सी० ए० ओ० (डी० पी० सी०)]

S.R.O. 177.—In pursuance of rule 11 of the Armed Forces Headquarters Clerical Service Rules, 1968, the Central Government, after consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations to amend the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Lower Division Grade Competitive Examination for Class IV Staff) Regulations, 1969, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Lower Division Grade Competitive Examination for Class IV Staff) (Amendment) Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Lower Division Grade Competitive Examination for Class IV Staff) Regulations, 1969, in sub-regulation (5) of regulation 8, the existing clause (iii) shall be renumbered as clause (iv) and before clause (iv) as so renumbered, the following clause (iii) shall be inserted, namely:—

"(iii) Notwithstanding anything contained in clauses (i) and (ii), a candidate who has been declared by the competent medical authority, i.e. the Civil Surgeon, to be permanently unfit to pass the typewriting test because of physical disability, may be exempted by the Government from the requirement of passing the typewriting test and, in the event of his being so exempted, the provisions of clauses (i) and (ii) shall cease to be applicable to him from the date of such exemption".

[File No. 98630/CAO(DPC).]

A. K. MENON, Dy. Secy. & C.A.O.

का० नि० आ० 177.—सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा नियम, 1968 के नियम 11 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा (वर्ग 4 कर्मचारीवृन्द के लिए निम्न श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1969 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन विनियमों का नाम सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा (वर्ग 4 कर्मचारीवृन्द के लिए निम्न श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) विनियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा (वर्ग 4 कर्मचारीवृन्द के लिए निम्न श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 में, विनियम 8 के उप-विनियम (5) में वर्तमान खंड

(iii) को खंड (iv) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (iv) से पूर्व निम्नलिखित खंड (iii) अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात :—

"(iii) खंड (i) और (ii) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अभ्यर्थी को, जो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात सिविल सर्जन द्वारा शारीरिक निःशक्तता के कारण टंकण लेखन परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, सरकार द्वारा टंकण लेखन परीक्षा पास करने से छूट दी जा सकती है, और इस प्रकार छूट प्राप्त होने की दशा में खंड (i) और (ii) के उपबन्ध ऐसी छूट की तारीख से उसे लागू न रहेंगे ।

[फा० सं० 98630/सी० ए० ओ० (डी० पी० सी०)]

ए० के० मनन, उप सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ।

New Delhi, the 30th April 1971

S.R.O. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General, Ordnance Factories (Deputy Assistant Director General/ Medical) Recruitment Rules, 1970, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. S.R.O. 366, dated the 19th May, 1970, namely:—

1. (1) These rule may be called the Directorate General, Ordnance Factories (Deputy Assistant Director General/Medical) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

2. In the Directorate General, Ordnance Factories (Deputy Assistant Director Gazette.

2 In the Directorate General, Ordnance Factories (Deputy Assistant Director General/Medical) Recruitment Rules, 1970,

(1) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. *Disqualifications.*—No person,—

(a) who has entered into ar contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the above posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule".

(2) In rule 6, for the words 'any person' the word 'any class or category of persons' shall be *substituted*.

S. D. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1

का० नि० आ० 178.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 366, तारीख 19 मई, 1970 के साथ प्रकाशित महानिदेशक, आर्डनेन्स कारखाने (उप सहायक महानिदेशक चिकित्सा) भर्ती नियम, 1970, में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम महानिदेशक, आर्डनेन्स कारखाने (उप सहायक महानिदेशक चिकित्सा) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. महानिदेशक, आर्डनेन्स कारखाने (उपसहायक महानिदेशक चिकित्सा) भर्ती नियम, 1970 में,—

(1) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात :—

"5 निरर्हताएं :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी ।"

(2) नियम 6 में, 'कोई व्यक्ति' शब्दों के स्थान पर 'किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों' शब्द प्रतिस्थापित किए जायंगे ।

सत्य देव शर्मा, अवर सचिव ।

(Navy Branch)

New Delhi, the 14th May 1971

S.R.O. 179.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964, namely:—

1. These Regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 1971.

2. In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964, in regulation 166, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(2) The minimum academic qualifications for entry shall be as under:—

(a) A first class B.A. or B.Sc. Pass degree or a second class B.A. or B.Sc. Hons. degree of a recognised University with Mathematics or Physics as one of the principal subjects for the degree examination.

(b) A second class Master's degree of a recognised University in English or Chemistry. Candidates possessing a Master's degree in Chemistry, should have studied Physics up to the degree standard and those possessing Master's degree in English should have studied Physics or Mathematics upto the Intermediate or equivalent standard.

(c) A degree in Mechanical or Electrical Engineering.

Explanation

1. Preference may be given to those who possess, in addition, teching qualifications or who have had teaching experience.

2 The intake of post-graduates in English and Chemistry as well as graduates in Engineering may be restricted to the minimum according to the requirements for teaching these subjects, at the discretion of the Chief of the Naval Staff.

L. DAYAL, Jt. Secy.

(नौसेना शाखा)

नई दिल्ली, 11 मई 1971

का० नि० आ० 179.—केन्द्रीय सरकार नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नौसैनिक औपचारिकताएं, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये विनियम नौसैनिक औपचारिकता सेवा की शर्तों और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1971, कहे जा सकेंगे ।

2. नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में विनियम 166 में उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात :

"(2) प्रविष्टि के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं निम्नलिखित होंगी :—

(क) डिग्री परीक्षा के लिए एक मुख्य विषय के रूप में गणित या भौतिकी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की प्रथम श्रेणी बी० ए० या बी० एस० सी० पास डिग्री या द्वितीय श्रेणी बी० ए० या बी० एस० सी० आनर्स डिग्री ।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अंग्रेजी या रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री । जिन अभ्यर्थियों के पास रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री है उन्होंने डिग्री स्तर तक भौतिकी पढ़ी हो और वे जिनके पास अंग्रेजी में मास्टर डिग्री है, उन्होंने इन्टरमीडिएट या समतुल्य स्तर तक भौतिकी या गणित पढ़ी हो :

(ग) यान्त्रिक या विद्युत इन्जीनियरी में डिग्री ।

स्पष्टीकरण]

1. अधिमान्यता उन्हें दी जायगी जिनके पास इसके अतिरिक्त अध्यापक अर्हताएं हों या जिन्हें अध्यापक का अनुभव रहा हो ।

2. नौसेनाध्यक्ष के विवेकानुसार अंग्रेजी और रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तरों का तथा इन्जीनियरी स्नातकों का लेना इन विषयों के अध्यापन की अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम तक सीमित रखा जायगा ।

एल० दयाल, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 15th May 1971

S.R.O. 180.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class I posts including that of Instructors in Tibetan Language at the Army Educational Corps Training College and Centre, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Army Educational Corps Training College and Centre (Class I posts) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit specified for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that another ground for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

SCHE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-Selection post.	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Instructor in Tibetan Language	3	Defence Services Class I Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Govt. servants).	*Essential* : (*i*) Degree of a recognised University or equivalent qualification. (*ii*) Degree or Diploma of a recognised University/Institution or equivalent qualification in Tibetan language. In case of a Diploma holder, a minimum of three years, teaching experience in the language is essential. (*iii*) Proficiency in English. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified). *Desirable* : (*i*) Teaching experience in Tibetan language. (*ii*) Proficiency in games. (*iii*) Experience in Military Training/UOTC/Scouting/Cultural activities/Training in a Budhist Monastry.

DULE

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC. exists, what is its composition.	Cirumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not appliable	Not applicable	As required under the rules.

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मई, 1971

का० नि० आ० 180.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा शैक्षिक कोर प्रशिक्षण महा विद्यालय और केन्द्र में वर्ग 1 के पदों जिसमें तिब्बती भाषा के अनुदेशक भी सम्मिलित है, पर भर्ती की पद्धत्ति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) ये नियम सेना शैक्षिक कोर प्रशिक्षण महाविद्यालय और केन्द्र (वर्ग 1 के पद) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. **लागू होना**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ में 1 विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं**—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा आदेश देने के लिये अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि सेवा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

अनु

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6
तिब्बती भाषा अनुदेशक	3	रक्षा सेवा वर्ग । राजपत्रित अननुसचिवीय	400-400-450 30-600-35-670-द० रो० 35-950 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)

सूची

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/ भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की डिग्री या समतुल्य योग्यता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त महाविद्यालय/ संस्था की डिग्री या डिप्लोमा या उसके समतुल्य तिब्बती भाषा में योग्यता/ डिप्लोमा धारक की दशा में, न्यूनतम 3 वर्ष का आवश्यक, भाषा में अध्यापन का अनुभव । (iii) अंग्रेजी में प्रवीणता । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार योग्यताएं शिथिलनीय)	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
वांछनीय : (i) तिब्बती भाषा में अध्यापन का अनुभव । (ii) खेलकूद में प्रवीणता । (iii) सैनिक प्रशिक्षण/यू० ओ० टी० सी०/ स्काउटिंग/सांस्कृतिक क्रिया कलाप का अनुभव/बौद्ध विहार में प्रशिक्षण ।			

अनुसूची

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	जैसा कि नियमों के अधीन अपेक्षित हो ।

वी० ए० बालियापरमपिल, अवर सचिव ।

New Delhi, the 21st May 1971

S.R.O. 181.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 10 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Rules, 1953, read with section 25 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 434, dated the 5th October, 1970 the Central Government hereby enlarges the period for making the award by the arbitrator (appointed under the notification of the Government of Madras in the Public (Military) Department G.O.M.S. No. 1928 dated the 4th September, 1967) upto the 31st August, 1971.

[File No. 20(12)/70/D(Lands).]

D. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मई 1971

का० नि० आ० 181.—स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) की धारा 25 के साथ पठित स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन नियम, 1953 के नियम 10 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि०० आ० 434 तारीख 5 अक्तूबर, 1970 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मद्रास सरकार के लोक (सैनिक) विभाग की अधिसूचना जी० ओ० एम० एस० संख्या 1928 तारीख 4 सितम्बर, 1967 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ द्वारा पंचाट करने की कालावधि को 31 अगस्त, 1971 तक बढ़ाती है ।

[फाइल सं० 20(12)-70/डी० (भूमि)]

डी० कृष्णामर्ति, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971